वन विभाग के अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन–प्रपत्र

वन–विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु

चेक–लिस्ट

1. आवेदन–पत्र (आरा मशीन के लाइसेंस हेतु आवेदन–पत्र का प्रारूप संलग्न है।)

   अन्य उद्योगों हेतु आवेदन–पत्र में आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम व पता स्पष्ट रूप से दिया जाय।

2. प्रस्तावित उद्योग हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध होने का प्रमाण व भूमि के स्वामित्व के अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि।

3. उद्योग हेतु विद्युत व्यवस्था/अन्य शक्ति व्यवस्था उपलब्ध होने या आवेदक का उसे उपलब्ध करने में सक्षम होने का प्रमाण–पत्र।

4. उद्योग हेतु प्रतिवर्ष वनाधारित कच्चे माल की प्रजातिवार आवश्यकता (घ.मी.) एवं उसका विवरण।

5. उद्योग हेतु कच्चा माल प्राप्त होने में आवेदक के सक्षम होने का तथा कच्चा माल प्राप्त करने के लिये वैध स्रोतों का विवरण।

6. यदि कच्चा माल विदेशों से प्राप्त किया जाना है तो आयात करने सम्बन्धी अकाट्य प्रमाण–पत्र।

7. उद्योग को लगाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र।

नोटः– वर्तमान में आरा मशीनों के नये लाइसेंस जारी करने पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत रोक लगी है।

उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

समस्त महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र,
उत्तराखण्ड।

विषयः—रिट याचिका संख्या 202/1995 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयादेश दिनांक 29.10.2002

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 4—10/2002—एस0 यू0 दिनांक 2—12—2002 से याचिका संख्या 202/1995—टी0 एन0 गौंडावर्मन बनाम भारत संघ में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयादेश दिनांक 29—10—2002 को निम्न प्रकार से उद्धृत करते हुये, आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है।

"No State or Union Territory shall permit any unlicensed saw-mills, venner, plywood industry to poperate and they are directed to close all such unlicensed unit forthwith. No state Government or Union Territory will permit the opening of any saw-mills, venner or plywood industry without prior permission of the Central Empowered Committee. The Chief Secretary of each State will ensure strict compliance of this direction. There shall also be no relaxation of rules with regard to the grant of licence without previous concurrence of the Central Empowered Committee.

It shall be open to apply to this Court for relaxation and or appropriate modification or orders qua plantations or grant of licences."

आपसे कहना है कि उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए तथा यदि आपके पास उद्योग के पंजीयन के लिये आवेदन पत्र प्राप्त होते भी हैं, तो ऐसे प्रकरणों को तभी संज्ञान में लिया जाए, जबकि मामलों को वन विभाग के माध्यम से सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी के सम्मुख प्रस्तुत कर, उन पर प्रदेश सरकार को सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी की पूर्वानुमति प्राप्त हो जाए।

पुनीत कंसल
अपर निदेशक, उद्योग।

पृ.सं. /उक्त/ तद्दिनांकितः

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त आदेशों के प्रभावी अनुपालन हेतु अपने स्तर से भी प्रदेश के सभी प्रभागीय वनाधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

पुनीत कंसल
अपर निदेशक, उद्योग।

वन–विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन–पत्र

सेवा में,

प्रभागीय वन अधिकारी
वन प्रभाग,
....

विषयः– आरा मिल लगाने/स्थापित करने के लिए आवेदन–पत्र

1. आवेदक का नाम और पूरा पता
2. स्थान का नाम जहाँ आरा मिल लगाया जायेगा
3. क्या आरा मिल के लिये अपेक्षित मशीनरी और विद्युत शक्ति आदि उपलब्ध हैं ?
4. प्रस्तावित मिल की उत्पादन क्षमता
5. जिला मजिस्ट्रेट का अनापत्ति प्रमाण–पत्र
6. अन्य ब्योरा, यदि कोई हो ।

स्थलः
दिनांकः आवेदक के हस्ताक्षर

नोटः– वर्तमान में मा. सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत नई आरा मशीनों के लाइसेन्स जारी करने पर रोक लगी है।

अनुसूची–दो
इमारती लकड़ी को काटने या परिवर्तित करने के लिये आरा मिल प्रापित करने, लगाने और चलाने के लिये लाईसेंस का प्रपत्र

इमारती लकड़ी को परिवर्तित करने/काटने के लिये स्थान.......................................(कारबार–स्थान का पूरा पता) में आरा मिल स्थापित करने/लगाने/चलाने के लिये श्री..आत्मज............ ....निवासी.. ....(पूरा पता) (जिस आगे लाईसेंसधारी कहा है) को उत्तराखण्ड में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर यथा संशोधित भारतीय धन अधिनियम 1927 (अधिनियम संख्या 16, 1927) और इसके अधीन बनाये गये नियमों क उपबन्धों के अधीन रहते हुये और निम्नलिखित शर्तों पर एतद्द्वारा लाइसेंस दिया जाता है, अर्थात ....

<u>शर्तें</u>

1. ....यह लाईसेंस...को प्रारम्भ होकर और ....को समाप्त होने वाली अवधि के लिये प्रवृत्त रहेगा।
2. लाईसेंसधारी इमारती लकड़ी को परिवर्तित करने/काटने के लिये.. ....(कारबार–स्थान का पूरा पता उल्लिखित कीजियें) में आरा मिल स्थापित करेगा/लगायेगा या वर्तमान मिल चलायेगा।
3. लाइसेंसधारी सम्बद्ध प्रभागीय वन अधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना आरा मिल का स्थान नहीं बदलेगा।
4. लाइसेंसधारी ऐसा रजिस्टर और अभिलेख रखेगा और ऐसे विवरण प्रस्तुत करेगा जैसा प्रभागीय वन अधिकारी लिखित रूप से निर्देश दें और अपेक्षा किये जाने पर वन विभाग के किसी अधिकारी या कर्मचारी वर्ग के सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिये उन्हें प्रस्तुत करेगा।
5. लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि ....
   1) आरा मिल का स्थल जिसमें गोल इमारती लकड़ी, चिरी हुई इमारती लकड़ी और क्षेप्य लकडी के संग्रह के लिये प्रांगण भी सम्मिलित है, समुचित फाटकों से युक्त बाड़ से घिरा है।
   2) समस्त गोल इमारती लकड़ी, चिरी हुई इमारती लकड़ी और क्षेप्य लकड़ी का समुचित संग्रह प्रभागीय वन अधिकारी का उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कर्मचारी वर्ग द्वारा समय–समय पर दिये गये अनुदेशों के अनुसार किया जाये।
   3) चीरने या परिवर्तित करने के लिये इमारती लकड़ी को तब तक स्वीकार न किया जाये जब तक उस पर सम्पत्ति चिन्ह न लगे हों और वह वन पारगमन–पत्र या अन्य दस्तावेजो साक्ष्य, यथा इमारती लकड़ी के सौदागार या उसके किसी अन्य विक्रेता की रसीद के अन्तर्गत न आता हो।
   4) ऐसी इमारती लकड़ी को जो उपर्युक्त शर्त 5 (3) की अपेक्षाओं के अनुरूप न हो, परिवर्तित करने के लिये स्वीकार न किया जाये और ऐसी इमारती लकड़ी के सम्बन्ध में लिखित सूचना वन विभाग के किसी उपलभ्य कर्मचारी या निकटतम वन अधिकारी को तुरन्त दी जाये।
   5) आरा मिल तथा आरा मिल की भू–गृहादि में संग्रहीत इमारती लकड़ी वन विभाग के किसी अधिकारी को या इस प्रयोजन के लिये नियुक्त वन विभाग के कर्मचारी वर्ग के किसी सदस्य या पुलिस उप निरीक्षक के पद से अनिम्न किसी पुलिस अधिकारी या किसी मजिस्ट्रेट द्वारा निरीक्षण के लिये सभी समय सुलभ हो।
   6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित किसी प्राधिकारी द्वारा मांग करने पर लाइसेंस और समस्त सुसंगत अभिलेख परीक्षण के लिये प्रस्तुत किये जाये।
   7) लाइसेंस अन्तरणीय होगा और जहां से इसे अन्तरित किया जाये। यहां अन्तरक सम्बद्ध प्रभागीय वन अधिकारी को ऐसे अन्तरण की सूचना तुरन्त देगा और अन्तरिती उसमें विनिर्दिष्ट अवधि तक लाइसेंस धारण करेगा।

दिनांक....................................... **प्रभागीय वन अधिकारी के हस्ताक्षर**